न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1143 / 2026

संजू देवी बनाम् बिहार सरकार

वैशाली थाना कांड संख्या–667 / 2025

अधीन धारा–126(2), 115(2), 118(1), 76, 109, 303(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

08-06-2026

वैशाली थाना कांड संख्या–667 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 118(1), 76, 109, 303(2), 352, 351(2), 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदिका **संजू देवी उम्र–40 वर्ष पति–बिनोद राय** साकिन–परवारा, थाना–वैशाली (बेलसर ओ0पी0), जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता **श्री मुकेश कुमार** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्याम बाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 2 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, दिनांक–16.09.2025 को समय 09.00 बजे रात को सूचक अपने घर में सोने जा रहा था तो पहले से इंतजार में बैठा उसका बड़ा भाई विनोद राय एवं संजू देवी दोनों हाथ में लिए लोहे के रड से जान मारने की नियत से उसके सर पर मारा जिससे उसका सर फट गया। बीच–बचाव करने सूचक की पत्नी प्रियंका कुमारी आयी तो विनोद राय ने उसका बाल पकड़कर घसीटने लगा जिससे वह बेलग्न हो गई। इतने में संजू देवी आयी और सूचक की पत्नी के सर पर लोहे के रड से मारकर उसका सर फाड़ दिया। मारपीट के दौरान सूचक की पत्नी के गर्दन से सोने का मंगलसूत्र एवं चेन संजू देवी छीन ली।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदिका निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदिका के पति और सूचक आपस में सगे भाई है और एक ही घर में रहते हैं। निवेदित है, आवेदिका को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदिका के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदिका प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर लोहे के रड से जान मारने की नियत से सूचक के सर पर मारकर उसका सर फाड़ देने एवं सूचक की पत्नी प्रियंका कुमारी को बाल पकड़कर घसीटने और उसे बेलग्न करने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 08, 09 एवं 10 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। लेकिन उक्त

Web copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1143/2026

संजू देवी बनाम् बिहार सरकार

लगातार
08.06.2026

साक्षियों द्वारा सूचक की पत्नी प्रियंका कुमारी को बाल पकड़कर घसीटने एवं उसे बेलग्न करने की बात का समर्थन नहीं किया गया है और कहा गया है कि उक्त घटना घरेलू विवाद को लेकर हुई है। कांड दैनिकी की कंडिका 27 में जख्मी ललन राय एवं प्रियंका कुमार का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें चिकित्सक द्वारा दोनों के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया गया है जो कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म है। जमानत आवेदन की कंडिका 06 से विदित होता है कि आवेदिका के पति और सूचक आपस में सगे भाई है और एक ही घर में रहते है। कांड दैनिकी की कंडिका 24 एवं जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदिका को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदक द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदिका को 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official